18/11/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अ०। वास्ते इंतजार tdr रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 24.12.24 को पेश हो।

24.12.24

वकील प्रार्थी वकालतनामा एड. द्वारा अपने स्थानीय [illegible] गया है
अधिकृत मनोनयन ...24... कार्य में व्यस्त
पर है। अतः पत्रवली वास्ते .....
दिनांक ..... को पेश हो।

18.02.25 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उ०। तहसीलदार मुसावर रिपोर्ट प्राप्त हमने बहस प्रार्थी वकील की सुनी गई उन्होंने अवगत कराया गया कि हम प्रार्थीगण की आराजीयात में हमारे पिता जिन्सी का नाम राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से जिन्सी पुत्र हरगोविन्द के स्थान पर मिश्री पुत्र हरगोविन्द गलत दर्ज कर दिया गया है।

जबकि हमारे पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र आधार कार्ड में नाम सही है। प्रार्थी द्वारा नाम शुद्ध करने बाबत निवेदन किया गया है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार मुसावर द्वारा भी नाम शुद्ध करने बाबत अभिशंषा की गई है।

उक्त के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ० ख० नं० 299 रकबा 0.1000, 300 रकबा 0.1000, 539 रकबा 0.1500, 540/1251 रकबा 0.1700, 548 रकबा 0.0200, 302 रकबा 0.0600 हैक्टेयर वाले ग्राम झारोटी तहसील मुसावर की आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता का नाम मिश्री पुत्र हरगोविन्द को दुरुस्त कर सही नाम जिन्सी पुत्र-हरगोविन्द दर्ज किया जावे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर के कमहे बाद तकमील जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (सवाईमाधोपुर)